

FROM No.III

फर्क ब्रह्मकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... मुकाम.....
सहायक कलक्टर ७१५५

बनाम.....
हरजी राम कर्करा

किस्म मुकदमा नं. आ. 111, 128 P.L.R. 48 12021 सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.2.21	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p>	
30/03/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गौरी के नोटिस तामिल मसम तामिल अग्रपत्र। सीमान पीठामीन अधिकारी डा पर स्थित होने के मिमाल इलतवा डोडर आगामी दिनांक 24/06/2021 को पेश हो।</p>	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p>
24/06/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गौरी के नोटिस तामिल मसम तामिल अग्रपत्र। सीमान पीठामीन अधिकारी डा पर स्थित होने के मिमाल इलतवा डोडर आगामी दिनांक 20/10/21 को पेश हो।</p>	
20/10/2021	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी गौरी के नोटिस तामिल मसम तामिल अग्रपत्र। सीमान पीठामीन अधिकारी डा पर स्थित होने के मिमाल इलतवा डोडर आगामी दिनांक 01/11/2021 को पेश हो।</p>	



01/11/2021

पञ्जावली आज फेर हुई। प्रार्थी वहील 540,
विप्राधीजियों के नोडिग तामिल कुच्छा प्राप्त जिसे
शाकिल पञ्जावली विद्य गण। विप्राधीजिय वाकबुड
तामिल अनुउपलित। सीमान पीरतानि मदिगारी डिग
डार्थी के व्यस्य होने के सिवाल इलाक दोडर मगाधी
दिनांड - 18/11/2021 को फेर दी।

18/11/21

प्रार्थी वहील उपलित। सीमान पीरतानि मदि-
गारी डिग डार्थी के व्यस्य होने के सिवाल इलाक दोडर
मगाधी दिनांड 30/11/2021 को फेर दी।

30/11/21

पञ्जावली आज उवासन गोंबो के संग मदिमान -
2021 डेस्य गाम पंचायत - डोसरिया के रखी गई प्रार्थी
वहील उपलित। विप्राधीजिय अनुउपलित। प्रार्थी के मदि-
पन्ना की एउपसिभ वडल खुनी गई प्रार्थी मदिपन्ना डाए
कलाम की प्रार्थी व विप्राधीजियों के म्यालेगारी म्येत सेव में
झरि हुई है। प्रार्थी व विप्राधीजियों के सेवो के मद्य जो पुरानी
माठे व डगे कामे दुए थे जो वर्तमान के माधियों की वजह
से विधर गये है। जिससे प्रार्थी को कपने म्येत के सेवो का
सही ज्ञान नही है या रहा है। प्रार्थी व विप्राधीजियों के मद्य
म्येत के सेवो को लेकर हमेशा तनाजा कच रहता है। प्रार्थी
को कपने म्येत के सेवो का सही ज्ञान डरने हेतु नेप्यमवनी
डरवानी कावधु है। इसलिये प्रार्थी का नेप्यमवनी कावेडन
स्वीडर शीया जाडर नेप्यमवनी कावेड विम जावे।

मतः प्रार्थी मदिपन्ना के निवेदन पर प्रार्थी
का नेप्यमवनी कावेडन स्वीडर विम जाडर लक्ष्मीलगा वामडु
को कमिशनर नियुक्त विम जाडर कावेड विम जात है। विमप
स्वयं मर कपने मदिपन्ना वहीली भी मर मदिपन्ना मिरिडु से प्रार्थी
के म्यालेगारी म्येत की पन्नी नेप्यमवनी मोडे पर कमिशनर कुलडु
जमाडराडर करे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शाकिल पञ्जावली
दी. पञ्जावली मेलम सुमार दोडर डर्ज नम्बर के डर है। शाकिल
दिलर है।

सहायक कमिशनर
(SDO) बायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/वाद/2021/
प्रार्थी

बनाम

दिनांक:-
विप्रार्थीगण

1. डालूराम पुत्र तुलछाराम
जाति कुम्हार, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. हरजीराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 21
जाति कुम्हार, निवासी खींपर
पटवार मण्डल खींपर
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 48/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - खींपर, पटवार मण्डल - खींपर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 694/519, 724/576 रकबा क्रमशः 0.1861 हैक्टर, 2.0630 हैक्टर व मौजा- रीदूसर, पटवार मण्डल - खींपर, तहसील- बायतु के खेत खसरा नं. 188/8, 191/8 रकबा क्रमशः 1.0595 हैक्टर, 3.7942 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

कमांक/वाद/2021/1401 to 05
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

2. तहसीलदार बायतु
3. पटवारी हल्का खींपर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी श्री डालूराम पुत्र तुलछाराम
5. विप्रार्थी श्री हरजीराम पुत्र तुलछाराम वगैरा 21
6. पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक वेतनवेद
दिनांक:- बायतु 30.11.21

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक वेतनवेद
(500) बायतु